न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या ::–80/2024

गोपाल पिता नन्दा जाति दरोगा निवासी ग्राम सुरतपुरा तह0 बेगूं
वादी

बनाम

1 उदा पिता कजोड़ जाति दरोगा निवासी ग्राम सुरतपुरा तह0 बेगूं
2 रतनलाल पिता कजोड़ जाति दरोगा निवासी ग्राम सुरतपुरा तह0 बेगूं
3 शंकरलाल पिता कजोड़ जाति दरोगा निवासी ग्राम सुरतपुरा तह0 बेगूं
4 शम्भूलाल पिता नन्दा जाति दरोगा निवासी ग्राम सुरतपुरा तह0 बेगूं
5 श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूं भूमिधारी
6 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ़ प्रतिनिधि राज0 सरकार

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री गोपाल लाल शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री अशीष सोनी
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक ::– 30.04.2025

निर्णय वाद अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वाद पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल सामरिया कला तहसील बेगूं की जमाबंदी आधार सम्वत 2078–2078 के नया खाता संख्या 65 में निम्नांकित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी में राजस्व अभिलेख में दर्ज है:–

खसरा नम्बर		क्षैत्रफल (हैक्टर)
205		0.4620
207		0.1540
208		0.0490
कीता–2	रकबा	0.6550 हैक्टर

उपरोक्त आराजीयात में वादी का 1/8 हिस्सा होकर दर्ज अभिलेख है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा शेष कृषि भूमि जमाबंदी में दर्ज अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के हिंस्से में व कब्जे काश्त मे है।

यह कि वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीसंख्या 1 से 4 तक की संयुक्त खातेदारी की होकर सह खातेदार है। उक्त आराजीयात का कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की होने एवं वादी तथा प्रतिवादीगण सहखातेदार होने से सीमाबन्दी को लेकर आपस में विवाद होता रहता है तथा सरकार योजनाओं का परिलाभ लेने एवं बैंक आदि संस्थाओं से भूमि सुधार व विकास हेतु ऋण आदि लेने में काफी परेशानी हो रही हैं। इस लिए वादी इस वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात में दर्ज अपने 1/8 हिस्से का अलग विभाजन करा कर पृथक अपना खाता राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

यह कि वादी ने दिनांक 04.09.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक को तहसील कार्यालय में चलकर आपसी सहमति से वाद वर्णित कृषि आराजीयात का बंटवारा करा वादी का 1/8 हिस्सा पृथक रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिया जाने से वाद कारण दिनांक 04.09.2024 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
यह कि वाद वर्णित आराजीयात ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल सामरिया कला तह0 बेगूं में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान आपके क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से वाद पत्र न्यायालय श्रीमान आपके समक्ष प्रस्तुत है। वाद पत्र बावत विभाजन कृषि आराजीयात होने से श्रीमान तहसीलदार साह बेगूं को भूमिधारी होने से तथा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान आप से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करता है :–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)

यह कि ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल सामरिया कला तहसील बेगूं की आराजी खसरा नम्बर क्षेत्रफल 0.4620 हैक्टर, 207 क्षेत्रफल 0.1540 हैक्टर तथा 208 क्षेत्रफल 0.0490 हैक्टर कुल कीता–3 कुल रकबा 0.6550 हैक्टर संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी का निहित 1/8 हिस्सा भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन कराया जाकर वादी के हिस्से की भूमि को राजस्व अभिलेख में पृथक से खाता दर्ज कराने की डिकी प्रदान कराई जावे।

(ख) यह कि वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात का विभाजन वाद पत्र के अनुसार वादी के पक्ष में किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादी के नाम का पृथक से खाता दर्ज कराने की डिकी प्रदान की जावें।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावें।

वादी का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष सोनी द्वारा प्रतिवादीगण 1 से 4 तक की ओर से अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम साथ में इस पत्रावली में प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वादी के वादपत्र की कलम संख्या 1 आंशिक स्वीकार है। प्रतवादीगण का भी अपने अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है जिसमें प्रविताादी संख्या 1 उदा का 1/4 हक व हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 रतनलाल का 1/4 हकहिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 शंकरलाल का 1/4 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 शम्भूलाल का 1/8 हक हिस्सा निहित होकर कब्जे काश्त में है। प्रवितादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

यह कि बटवारे व सीमाबंदी को लेकर मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता है इसी कारण प्रतिवादीगण भी अपने हक हिस्से की भूमि का पृथक पृथक बटवारा चाहते है तथा वादीण्गा एवं प्रतिवादीगण के हक व हिस्से अनुसार तथा मौके पर काबिज काश्त के अनुसार विभाजन करा खाता पृथक पृथक राजस्व अभिलेख में दर्ज कराना चाहते है। प्रतिवादीगण ने भी वादी को वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन कराने को कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया।

प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवादावा काउंटर क्लेम में निवेदन इस प्रकार से किया है कि:– उदा पिता कजोड, रतनलाल पिता कजोड, शंकरलाल पिता कजोड शम्भूलाल पिता नंदा जाति दरोगा निवासी सूरतपुरा तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ की ओर से प्रतिदावा निम्न प्रकार पेश है :–

1– यह कि मौजा ग्राम सुरतपुरा पटवार हल्का सामरिया कलां की आराजी नं0 205 रकबा 0.4620 हैक्टर, 207 रकबा 0.1540 हैक्टर तथा 208 रकबा 0.0490 हैक्टर कुल कीता–3 कुल रकबा 0.6550 हैक्टर कृषि भूमि काउंटर क्लेम कर्ता एवं वादी गोपाल दरोगा के संयुक्त खातेदारी की है जिससे वादी गोपाल का 1/8 हक व हिस्सा व प्रतिवादीगण उदा का 1/4 हक व हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 रतनलाल का 1/4 हकहिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 शंकरलाल का 1/4 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 शम्भूलाल का 1/8 हक हिस्सा निहित हक व हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं इसी अनुसार मौक`पर अपने अपने हक व हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है।

2– यह कि वाद वर्णित आराजीयात का विधिवत बटवारा मिट्स एण्ड बाउंड्स के अनुसार नहीं होने के कारण अक्सर बुवाई जुताई हकाई एवं कटाई के समय अकारण वादी गोपाल विवाद कर देता है इस कारण फसल उत्पन्न करने में बाधा होती है एवं अकारण ही विवाद उत्पन्न होता है इस कारण काउंटर क्लेम कर्ता प्रत्येक का पृथक पृथक अपने अपने हक हिस्से अनुसार उक त कृषि भूमि का बटवारा करवाना चाहते है।

3– यह कि काउण्टर क्लेम कर्तागण ने दिनांक 22.10.2024 को वादी गोपाल को वाद वर्णित भूमि का बटवारा कराने हेतु कहा तो वादी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया इस कारण उक्त दिनांक 22.10.24 को वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज विद्यमान है।

अतः काउंटर क्लेम प्रस्तुतकर्तागण के पक्ष में निम्न आशय की डिकी प्रदान की जावें –

(क) यह कि काउंटर क्लेम मे वर्णित भूमि का बंटवारा प्रत्येक काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर्तागण के हक व हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे काश्त तथा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवारा किया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि काउंटर क्लेम में वर्णित भूमि का बटवारा कर काउंटरक्लेमकर्तागण के हक व …से अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाता पृथक पृथक दर्ज करने की डिक्री प्रदान की जावें।

…) अन्य कोई वाद मुफिद हो व हक काउंटर क्लेम कर्तागण के पक्ष में प्रदान की जावें।

दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत किया गया, जबकि भूमिधारी प्रकरण में फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा इस वादपत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। चूँकि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने अपने हक हिस्से अनुसार विभाजन की दाद अपने वादपत्र व प्रतिवादपत्र में चाहे जाने से इस दावा पत्रावली में तनकी पत्र तेयार नहीं किया गया है। तथा वादी साक्ष्य हेतु साक्ष्य शपथ पत्र वादी गोपाल पिता नन्दा जाति दरोगा का एवं गवाह केला पिता माधु दरोगा का प्रस्तुत किया गया जिन्होने मुख्य परीक्षण के दौरान अपने बयान कलमबद्ध कराते हुए दावा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का प्रदर्श कराया तथा वादी से प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा जिरह करते हुए वादी के बयान पूर्ण कराये गये। पत्रावली मे वादी के बयान पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीगण की ओर साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रतिवादी रतनलाल पिता कजोड के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिनसे मुख्यपरीक्षण के दौरान अधिवक्ता वादी द्वारा जिरह करते हुए प्रतिवादी के बयान को कलमबद्ध करा साक्ष्य प्रतिवादी की पूर्ण की गई।

दावा पत्रावली में साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पूर्ण होने के पश्चात उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र के अनुसार बहस करते हुए वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/8 होने से हिस्सानुसार विभाजन व कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया है। जवकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि मे प्रतिवादीगण उदा का 1/4 हक व हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 रतनलाल का 1/4 हकहिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 शंकरलाल का 1/4 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 शम्भूलाल का 1/8 हक हिस्सा निहित हक व हिस्सा होकर अपने हिस्से अनुसार काबिज होने से प्रतिवादीगण के भी हिस्से अनुसार विभाजन करते हुए खाता पृथक पृथक दर्ज कराने का निवेदन हमारे समक्ष किया है।

बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा सुरतपुरा पटवार हल्का सामरियाकला सम्वत 2078 प्रदर्श– 1 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/8 एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा काउण्टरक्लेम मे दर्शाये गये हिस्सानुसार प्रतिवादीगण उदा का 1/4 हक व हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 रतनलाल का 1/4 हकहिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 शंकरलाल का 1/4 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 शम्भूलाल का 1/8 हक हिस्सा निहित हक व हिस्सा होना पाया गया जिससे हम उचित समझते है कि वादी का वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र दोनो ही स्वीकार करते हुए आराजी का विभाजन करा खाता पृथक कराया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक की ओर से प्रस्तुत प्रतिवादपत्र भी स्वीकार किया जाता है। मौजा सुरतपुरा पटवार हल्का सामरियाकला की कृषि आराजी संख्या 205 रकबा 0.4620 हैक्टर, 207 रकवा 0.1540 हैक्टर तथा 208 रकबा 0.0490 हैक्टर कुल कीता–3 कुल रकबा 0.6550 हैक्टर कृषि भूमि काउंटर क्लेम कर्ता एवं वादी गोपाल दरोगा के संयुक्त खातेदारी की है जिससे वादी गोपाल का 1/8 हक व हिस्सा व प्रतिवादीगण उदा का 1/4 हक व हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 रतनलाल का 1/4 हकहिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 शंकरलाल का 1/4 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 शम्भूलाल का 1/8 हक हिस्सा अनुसार एवं काबिजानुसार वर्णित कृषि आराजी का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि कमिश्नर शुल्क की राशि वादी से 1000/– एवं प्रतिवादीगण से 1000/– वसूल करते हुए उपरोक्त आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार व कब्जोकश्त अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता हैं। प्राथमिक डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक/राजस्व(कोर्ट)/2025/253 दिनांक 22.04.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा सुरतपुरा पटवार हल्का सामरियाकंला की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1- श्री उदा पुत्र कजोड दरोगा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
205 मे	0.1155	चाही2	3. 14
207 में	0.0330	चाही2	0. 90
208 में	0.0154	बीड	0. 04
कीता- 03	0.1639 हैक्टर		4.08

2- श्री गोपाल पुत्र नन्दा दरोगा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
205 मे	0.0578	चाही2	1. 58
207 में	0.0160	चाही2	0. 43
208 में	0.0120	बीड	0. 03
कीता- 03	0.0858 हैक्टर		2.04

3- श्री शंम्भूलाल पुत्र नन्दा दरोगा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
205 मे	0.0577	चाही2	1. 57
207 में	0.0160	चाही2	0. 43
208 में	0.0120	बीड	0. 03
कीता- 03	0.0857 हैक्टर		2.03

4- श्री रतनलाल पुत्र कजोड दरोगा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
205 मे	0.1155	चाही2	3. 14
207 में	0.0480	चाही2	1. 31
208 में	0.0096	बीड	0. 02
कीता- 03	0.1731 हैक्टर		4.47

5- श्री शंकरलाल पुत्र कजोड दरोगा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
205 मे	0.1155	चाही2	3. 14
207 में	0.0410	चाही2	0. 90
		बीड	0. 02
कीता- 02	0.1565 हैक्टर		4.06

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज0)

पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या ::–80/2024

गोपाल पिता नन्दा जाति दरोगा निवासी ग्राम सुरतपुरा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1 उदा पिता कजोड जाति दरोगा निवासी ग्राम सुरतपुरा तह0 बेगूँ
2 रतनलाल पिता कजोड जाति दरोगा निवासी ग्राम सुरतपुरा तह0 बेगूँ
3 शंकरलाल पिता कजोड जाति दरोगा निवासी ग्राम सुरतपुरा तह0 बेगूँ
4 शम्भूलाल पिता नन्दा जाति दरोगा निवासी ग्राम सुरतपुरा तह0 बेगूँ
5 श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ भूमिधारी
6 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ प्रतिनिधि राज0 सरकार
प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री आशीष सोनी की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.04.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा सुरतपुरा पटवार हल्का सामरियाकंला की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– श्री उदा पुत्र कजोड दरोगा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
205 मे	0.1155	चाही2	3. 14
207 में	0.0330	चाही2	0. 90
208 में	0.0154	बीड	0. 04
कीता– 03	0.1639 हैक्टर		4.08

2– श्री गोपाल पुत्र नन्दा दरोगा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
205 मे	0.0578	चाही2	1. 58
207 में	0.0160	चाही2	0. 47
208 में	0.0120	बीड	0. 03
कीता– 03	0.0858 हैक्टर		2.04

3– श्री शंम्भूलाल पुत्र नन्दा दरोगा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
205 मे	0.0577	चाही2	1. 57
207 में	0.0160	चाही2	0. 43
208 में	0.0120	बीड	0. 03
कीता– 03	0.1639 हैक्टर		2.03

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

श्री रतनलाल पुत्र कजोड दरोगा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
205 मे	0.1155	चाही2	3. 14
207 में	0.0480	चाही2	1. 31
208 में	0.0096	बीड	0. 02
कीता— 03	0.1731 हैक्टर		4.47

5— श्री शंकरलाल पुत्र कजोड दरोगा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
205 मे	0.1155	चाही2	3. 14
207 में	0.0410	चाही2	0. 90
		बीड	0. 02
कीता— 02	0.1565 हैक्टर		4.06

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 270 दिनांक :– 6-5-25

अंतिम डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जावे

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)